भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

4 APR 2005

03CC 319265

A One Homes 315

BUY DEED #1A

<u>बयनामा</u>

बयनामा	8,40,000/–रू0
मालियत	8,40,000/–रू0
स्टाम्प	84,000/–रू0

हम कि गेटवे होम्स प्रा0 लिमिटेड 213–सुखदेव विहार नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अजमल पुत्र श्री मौहम्मद अरशद प्रथम पक्ष (विक्रेता) एवं एवन होम्स प्रा0 लि0 **X-51** ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज **II** नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अकबर पुत्र श्री मौहम्मद अरशद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।

Rs 20000 रु   भारतीय गैर न्यायिक   Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु   INDIA NON JUDICIAL   Rs 20000 रु

1 APR 2005

(1488)

03CC 319266

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं0 133 खसरा सं0 315 मि0 रकबई 0.401 हेक्टे0 लगानी सालाना 9.90 रू0 व खाता सं0 315 खसरा सं0 317 मि0 रकबई 0.292 हेक्टे0 व खसरा सं0 479 मि0 रकबई 0.134 हेक्टे0 कुल दो किते रकबई 0.426 हेक्टे0 लगानी सालाना 10.50 रू0 व खाता सं0 289 खसरा सं0 467 मि0 रकबई 0.065 हेक्टे0 लगानी सालाना 1.60 रू0 किस्म जमीन खादर सर्किल नं0 4 बाकै ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है तथा प्रथम पक्ष (विक्रेता) को आराजी मजकूर की बावत हर अख्तयारात मय

Rs 20000 Rs 20000

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

03CC 319267

इन्तकालात हासिल है। जो इस समय तक प्रत्येक प्रकार से पूर्णरूपेण स्वच्छ व विवाद रहित है। इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज सरकारी या गैर सरकारी आदि नहीं है। यह भूमि प्रत्येक प्रकार के रहन, बय, हिबा किफालत, जमानत कुर्की नीलामी आदि से पूर्णतया मुक्त है। आराजी बक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है तथा इस सम्पत्ति को विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त है । इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अग्रगाने इन्तकाल हाजा नहीं है इसकी पूर्ण संतुष्टि द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दी गयी है। चूंकि इस

Rs 20000 रु भारतीय गैर न्यायिक Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

03CC 319268

सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरूस्ती होश हवास खमसा बिना बहकाये व सिखाये बिना दबाव नजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शय मुबईया मजकूर हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफ्त व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसको बिना छोडे किसी जुज व हक बिल ऐवज मुबलिग 8,40,000/–रूपये आठ लाख चालीस हजार रू0 आधे जिसके 4,20,000/–रूपये चार लाख बीस हजार रूपये

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. R$1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

4 APR 2005

10371

होते है द्वितीय पक्ष क्रेता (एवन होम्स प्रा0 लि0 **X-51** ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज **II** नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अकबर पुत्र श्री मौहम्मद अरशद) को बय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं बाकी नहीं रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

10372

(विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता)

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

R$ 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

4 APR 2005

10373

A-2005

होगा। वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।

1000 Rs.

10374

A-2005

8

नोटः—विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "क" के अनुसार 1,00,000/—रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है तदनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नही हैं।

तफसील बसूली जरे समन मुबलिग 8,40,000/– रू0 नगद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है।

प्रथम पक्ष (विक्रेता)

द्वितीय पक्ष (क्रेता)

साक्षी

साक्षी

बयनामा हाजा आज दिनांक 7–4–2005 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशबरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

નકરા. આરાબો વરત ગુલાબરાવત ઘાસરીમાવા ૩૧૫ મિ૦ સ્કવેર ૦.૫૦ા૨હે૦ ૩૧૭ મિ૦

સ્કવેર ૦.૨૧ા૨હે૦ ૫૬૭ મિ૦ સ્કવેર ૦.૦૪ા૨હે૦ ૫૭૧ મિ૦ સ્કવેર ૦૧૩૫ હે૦ વગેરે

ગ્રામ ઠરાવના ઉઠાવમાવો તહમીલ વાલિવાં મુકામ

ઇકરારી : ગોરવ ઠાકર

મોજુદા : જીવન ઠાકર

૩૧૫	૩૧૭	૫૬૭	૫૭૧

1735

7/04/05

डिलीप